

निर्णय बड़जलास श्री अभिषेक चारण आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना जिला  
झालावाड राजस्थान

प्रकरण संख्या: 106/दावा/18

तारीख दायरा 18.07.2018

ऑन लाइन प्रकरण संख्या 2018/00124

## उनवान

1. तय्यब खां पिता अशरफ खां जाति मेवाती निवासी पिरथीपूरा
2. बबलू खां पिता अशरफ खां जाति मेवाती निवासी पिरथीपूरा
3. आरिफ खां पिता अशरफ खां जाति मेवाती निवासी पिरथीपूरा
4. भुरेखा पिता अशरफ खां जाति मेवाती निवासी पिरथीपूरा
5. शाकिर खां पिता अशरफ खां जाति मेवाती निवासी पिरथीपूरा
6. शबानाबाई बेवा अशरफ खां जाति मेवाती निवासी पिरथीपूरा
7. कल्लीबाई बेवा सिकन्दर खां जाति मेवाती निवासी पिरथीपूरा तहसील मनोहरथाना जिला  
झालावाड राज0

---वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड राज0

--- प्रतिवादी

वाद/प्रार्थना पत्र धारा 136 राज0ले0रे0एक्ट

निर्णय दिनांक 24.06.2022

उपस्थिति:- वकील वादीगण श्री गजेन्द्र गोत्तम

पत्रावली पेश हुई संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 ले0रे0ए0 के तहत इस आशय का पेश किया कि ग्राम पिरथीपूरा पटवार हल्का बांसखेडा तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड राजस्थान के माल की खाता संख्या नया 25 पूरानी 24 कि खसरा नम्बर 19 की 3 बीघा खसरा नम्बर 21 की 2 बीघा 11 बिस्वा खसरा नम्बर 26 की 6 बीघा 01 बिस्वा खसरा नम्बर 57 की 1 बीघा 10 बिस्वा खसरा नम्बर 78 की 1 बीघा खसरा नम्बर 104 की 6 बीघा 02 बिस्वा खसरा नम्बर 111 की 2 बीघा 11 खसरा नम्बर 117 की 1 बीघा खसरा नम्बर 214/116/ की 15 बिस्वा आराजी वादीगण के शामिल खातेदारी में दर्ज है। वर्णित आराजी में वादीगण के पिता का नाम रतनखॉ अंकित हो रहा है जो गलत है। वादीगण के पिता का सही नाम अशरफ खॉ है। वादीगण के पिता का नाम अन्य दस्तावेजो जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, बैंक पास बुक में अशरफ खॉ दर्ज हो रहा है। वादीगण के पिता का नाम रतनखॉ को दुरस्त कराने हेतु वादीगण ने प्रतिवादी तहसीलदार मनोहरथाना से कई बार निवेदन किया तथा आवेदन किया परन्तु उनके द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं देने पर पुनः अंतिम बार दिनांक 20.06.2018 को

आवेदन करने पर कोई सुनवाई नहीं करने से वाद कारण उत्पन्न हुआ। अतः वर्णित आराजी ग्राम पिरथीपूरा पटवारी हल्का बांसखेडा तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड राजस्थान के माल की खाता संख्या नया 25 पुरानी 24 कि खसरा नम्बर 19 की 3 बीघा खसरा नम्बर 21 की 2 बीघा 11 बिस्वा खसरा नम्बर 26 की 6 बीघा 01 बिस्वा खसरा नम्बर 57 की 1 बीघा 10 बिस्वा खसरा नम्बर 78 की 1 बीघा खसरा नम्बर 104 की 6 बीघा 02 बिस्वा खसरा नम्बर 111 की 2 बीघा 11 खसरा नम्बर 117 की 1 बीघा खसरा नम्बर 214/116/ की 15 बिस्वा कुल 9 किता की 24 बीघा की 10 बिस्वा आराजी में से वादीगण के पिता रतनखों का नाम दुरस्त कर अशरफ खों दर्ज कर राजस्व रिकार्ड अमल दरामद की जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी से जवाब तलब किया गया प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब संलग्न पत्रावली किया गया मुताबिक जवाब प्रतिवादी तहसीलदार, वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से सहमत है तथा उक्त राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता रतनखों का नाम दुरस्त कर अशरफ खों से सहमत है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत तर्क एवं दस्तावेज पर गौर किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी प्रार्थना पत्र के तथ्यों से सहमत है। अतः वादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार को आदेश दिया जाता है कि वर्णित आराजी ग्राम पिरथीपूरा पटवारी हल्का बांसखेडा तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड राजस्थान के माल की खाता संख्या नया 25 पुरानी 24 कि खसरा नम्बर 19 की 3 बीघा खसरा नम्बर 21 की 2 बीघा 11 बिस्वा खसरा नम्बर 26 की 6 बीघा 01 बिस्वा खसरा नम्बर 57 की 1 बीघा 10 बिस्वा खसरा नम्बर 78 की 1 बीघा खसरा नम्बर 104 की 6 बीघा 02 बिस्वा खसरा नम्बर 111 की 2 बीघा 11 खसरा नम्बर 117 की 1 बीघा खसरा नम्बर 214/116/ की 15 बिस्वा कुल 9 किता की 24 बीघा की 10 बिस्वा आराजी में वादीगण वादीगण के पिता रतनखों का नाम दुरस्त कर अशरफ खों दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.06.2022 को खुले इजलास सुनाया गया ।

  
( श्री **उपस्थित** )  
उपस्थित अधिवक्ता

फाईनल डिक्री मुकदमात इब्तदाई  
( ओ020 रूल0 6-7 जाप्ता दीवानी )

बइजलास श्री अभिषेक चारण आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना जिला झालावाड  
प्रकरण संख्या: 106 / दावा / 21

ऑन लाइन प्रकरण संख्या 2018 / 00124

तारीख दायरा 18.07.2018

उनवान

1. तय्यब खां पिता अशरफ खां जाति मेवाती निवासी पिरथीपूरा
2. बबलू खां पिता अशरफ खां जाति मेवाती निवासी पिरथीपूरा
3. आरिफ खां पिता अशरफ खां जाति मेवाती निवासी पिरथीपूरा
4. भुरेखा पिता अशरफ खां जाति मेवाती निवासी पिरथीपूरा
5. शाकिर खां पिता अशरफ खां जाति मेवाती निवासी पिरथीपूरा
6. शबानाबाई बेवा अशरफ खां जाति मेवाती निवासी पिरथीपूरा
7. कल्लीबाई बेवा सिकन्दर खां जाति मेवाती निवासी पिरथीपूरा तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड राज0

---वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड राज0

--- प्रतिवादी

धारा 136 एल0आर0एक्ट

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ अभिषेक चारण (आर0ए0एस0) बहाजरी वकील वादीगण श्री गजेन्द्र गोत्तम मिन जानिब मुद्दालय -----ने पेश होकर वाद डिक्री किया जाकर आदेश दिया जाता है कि :-

ग्राम पिरथीपूरा पटवार हल्का बांसखेडा तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड राजस्थान के माल की खाता संख्या नया 25 पुरानी 24 कि खसरा नम्बर 19 की 3 बीघा खसरा नम्बर 21 की 2 बीघा 11 बिस्वा खसरा नम्बर 26 की 6 बीघा 01 बिस्वा खसरा नम्बर 57 की 1 बीघा 10 बिस्वा खसरा नम्बर 78 की 1 बीघा खसरा नम्बर 104 की 6 बीघा 02 बिस्वा खसरा नम्बर 111 की 2 बीघा 11 खसरा नम्बर 117 की 1 बीघा खसरा नम्बर 214 / 116 / की 15 बिस्वा कुल 9 कित्ता की 24 बीघा 10 बिस्वा आराजी में वादीगण के पिता रतनखॉ का नाम दुरस्त कर अशरफ खॉ दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

आज दिनांक 24.06.2022 को हमारे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से मजमे आम मे जारी की गई।

  
(श्री अभिषेक चारण आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी  
मनोहरथाना जिला झालावाड